

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमांक : प्रशि./जीएनएम/एम-133/2026/121

दिनांक : 9/6/26

प्रधानाचार्य,
समस्त, निजी नर्सिंग संस्थान,
राजस्थान।

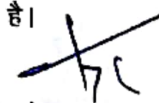
विषय : निजी नर्सिंग संस्थाओं में रिक्त रही सीटों पर स्वयं के स्तर से छात्र आवंटन करने हेतु।

उपरोक्त विषयान्तर्गत जीएनएम प्रशिक्षण सत्र 2025-26 की रिक्त रही सीटों पर एक बारीय शिथिलन देते हुए संस्थानों द्वारा स्वयं के स्तर से छात्र प्रवेशित करने हेतु दिनांक 10.06.2026 से 14.06.2026 तक पूर्व में जीएनएम पोर्टल पर पंजीकृत छात्रों को प्रवेश दिया जाना है, इस हेतु समस्त निजी नर्सिंग संस्थानों को निम्न वर्णित मापदण्डों के अनुसार स्वयं के स्तर से छात्रों को प्रवेश दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। जिसके मापदण्ड निम्नानुसार होंगे :-

1. छात्रों का आवंटन जीएनएम पोर्टल पर पंजीकृत छात्रों में से ही किया जा सकेगा।
2. सत्र 2025-26 में निजी नर्सिंग संस्थानों द्वारा स्वयं के स्तर से छात्र आवंटन करने हेतु जीएनएम पोर्टल पर सभी जीएनएम प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से संस्थान में प्रवेशित पंजीकृत अभ्यर्थियों का संपूर्ण विवरण मय दस्तावेजों की छाया प्रति के साथ अपलोड किया जाना है।
3. पंजीकृत अभ्यर्थी जीएनएम प्रशिक्षण हेतु एक ही संस्थान में प्रवेश करने हेतु योग्य होगा।
4. जीएनएम प्रशिक्षण सत्र 2025-26 की विज्ञप्ति के मापदण्डों के अनुसार ही सर्वप्रथम सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग, (OBC) अति पिछड़ा वर्ग (MBC) एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के अभ्यर्थी को 220/- रुपये तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी को 110/- रुपये की फीस सम्बन्धित संस्थान को जमा कराना अनिवार्य है। साथ ही समस्त अभ्यर्थियों द्वारा राशि 500/- रुपये काउंसलिंग फीस सम्बन्धित संस्थान को जमा करवाना अनिवार्य है। उक्त राशि संबंधित संस्थान द्वारा आरएनसी के खाते में जमा करना होगा।
5. निजी नर्सिंग संस्थानों द्वारा स्वयं के स्तर से प्रवेशित किये जाने वाले छात्र दिसम्बर 2025 तक के 12वीं उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही सम्मिलित होंगे।
6. अभ्यर्थियों के दस्तावेज इत्यादि की पूर्ण जाँच सम्बन्धित संस्थान द्वारा की जावेगी।
7. संस्थान द्वारा चयनित पंजीकृत अभ्यर्थी प्रशिक्षण राशि जमा करवाकर संबंधित संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे।
8. अभ्यर्थी विज्ञप्ति के मापदण्डों के अनुसार ही आवेदन करने हेतु पात्र होगा एवं समस्त संस्थान विज्ञप्ति के मापदण्डों के अनुसार ही अभ्यर्थियों को प्रवेश देने की प्रक्रिया संपादित करेंगे।

इस हेतु निजी नर्सिंग संस्थानों को पुनः निर्देशित किया जाता है कि बिन्दु सं0 4 में वर्णित फीस संबंधी मापदण्डों की पालना कर निर्धारित फीस राशि रजिस्ट्रार, राजस्थान नर्सिंग कौंसिल, जयपुर को अपने स्तर से भिजवाये, फीस राशि रजिस्ट्रार, राजस्थान नर्सिंग कौंसिल, जयपुर को अप्राप्त होने पर संबंधित संस्थान के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

उक्त समस्त कार्यवाही सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरान्त की जा रही है।


(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

13. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
14. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
15. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
16. रजिस्ट्रार, राजस्थान नर्सिंग कौंसिल, बी-39, सरदार पटेल मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर।
17. जैनिथ आई.टी. एण्ड इन्फ्रा सोल्युशन प्राईवेट लिमिटेड, जयपुर को भेजकर लेख है कि पोर्टल दिनांक 10.06.2026 को प्रारम्भ कर दें, ताकि संस्थानों द्वारा प्रवेशित अभ्यर्थियों का डाटा अपलोड किया जा सके।।
18. प्रभारी, सर्वर कक्ष, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को आज ही विभागीय वेब साईट पर जीएनएम प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सत्र 2025-26 में अपलोड करने का श्रम करे।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये,
राजस्थान, जयपुर